

01/9/16

पैसाकार वादी एव वकील जलियादी 1 व 2 उपरिखत (अ.प.डी) 07/11/16
स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है और बाद वादी एव
अ.प.डी अस्थाई निषेधाज्ञा सव्यय निरस्त किया जाता है।
किसी शुमार होकर गठकर से कल है बाद इफ्तल दरिखत है।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

